जनपद-संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 25.10.2024

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता अमरजीत पुत्र जवाहिर निवासी जूरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 74 वाहनों से 1,03,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 74 वाहनों से 1,03,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 25.10.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के मामले में 03 अभियुक्तो को पाँच-पाँच वर्ष के सश्रम करावास व कुल 16,500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 25.10.2024 को ***मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना को0 खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1112/2014 धारा 304/34, 323/34, 504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. महेन्द्र पुत्र रामललित 2. मदन पुत्र रामललित 3. रामफेर यादव निवासीगण गुलरिहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अंतर्गत धारा 304(II)/34 भादवि में प्रत्येक को 05 वर्ष के कारावास व 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभि0गण प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भोगना होगा। इसी प्रकार धारा 323/34 भादवि के अन्तर्गत अभि0गण प्रत्येक को 01 वर्ष के कारावास व 500रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में अभि0गण प्रत्येक को 07 दिन का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभि0गण प्रत्येक द्वारा जेल में बितायी गयी कोई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व 1,00,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 25.10.2024 को ***मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना महुली*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 18/2024 धारा 376, 504, 506 भादवि व 67 आईटी एक्ट के मामले में अभियुक्त नाम पता अमित निषाद पुत्र ओरी उर्फ चिरकुट निवासी गजाधरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्धि के आधार पर अन्तर्गत धारा 376 भादवि 07 वर्ष की अवधि के कारावास 40000रु0 के अर्थदण्ड से तथा अन्तर्गत धारा 67 आईटी एक्ट 02 वर्ष के कारावास एवं 60000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अदा किये गये अर्थदण्ड की आधी धनराशि अन्तर्गत धारा 375 सीआरपीसी पीड़ित को बतौर प्रतिकर अदा की जायेगी। समस्त सजाएं साथ साथ चलेंगी। प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्ड के साथ समायोजित किया जाये।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 01 अभियुक्त को 04 वर्ष का के कारावास व 11,500रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 25.10.2024 को ***मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /एससी एसटी एक्ट स0क0न0*** द्वारा ***थाना धनघटा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2009 धारा 436/511, 323/34, 504, 506 भादवि व 3(2)(iv) एससी एसटी एक्ट के मामलें में अभियुक्त रमेशचन्द्र यादव पुत्र रामराज निवासी छपरामगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 436/511 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 04 वर्ष के कारावास एवं 10000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड भुगतान न किये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्तर्गत धारा 323 भादवि में 06 माह के कारावास तथा 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास , अन्तर्गत धारा 504 भादवि में 01 वर्ष के कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।